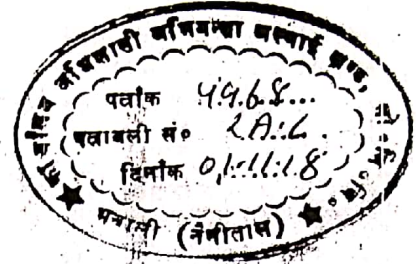


प्रेषक,

एस0एस0 कोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।



लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 11 अक्टूबर, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 320/2018 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-मीमताल के अन्तर्गत शहीद इन्द्र सिंह बगेली मोटर मार्ग से खनसू तक 08 कि0मी0 मोटर मार्ग का विस्तार कार्य हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय राधा व्यय की स्वीकृति।

गहोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणन, जिसकी लम्बाई 8.00 कि0मी0 एवं लागत ₹ 40.40 लाख है, पर त्रिभागीय टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत विस्तृत औचित्यपूर्ण धमराशि ₹ 40.40 लाख (₹ चालीस लाख चोलीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (एक लाख मात्र) की धमराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764 / III(2) / 10-17(सामान्य) / 2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से लो गइ हो, की स्वीकृति पर त्रिमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धमराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित वरी/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित करतें समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रॉक्वीरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:-2047 / XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य करतें समय या आगणन गठित करतें समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एम0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, युटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के अन्तर्गत यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-04-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि

मुख्य अभियन्ता

लोक निर्माण विभाग दिनांक 17/10/2018

प्रतिलिपि निम्नालिखित

- 1- आदेशावली हेतु भेजित
- 2- आदेशावली हेतु भेजित

अधिग्रहण-00-24 ग्रहण निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशारी अभियन्ता को होगा।

(x) वर्तमान में व्यय हेतु अयुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2019 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सम्बंध में वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मय में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनागत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त होगी।

(xii) विषयगत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 0.10 लाख का बजट आर्बिटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं०-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22, के अन्तर्गत अर्लीटमेट आर्बिटन संख्या-51810220060 दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 के द्वारा आपको आर्बिटन कोड सं०-4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के धाम-सूचक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखाशीर्षक-6054 सड़कों तथा सेतुओं पर मृत्तीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़क-337-सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 ग्रहण निर्माण कार्य (6054-04-000-02-02 से स्थानान्तरित) के नामे आला जायेगा।

(3) यह आवेश वित्त अनुभाग-2 के आशासकीय संख्या-462/XXVII(2)/2018 दिनांक 09 अक्टूबर, 2018 में प्राप्त उनकी राहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भाषीय

(एस०एस० टोलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या-5030 / 11(2)/18-67(एम०एल०ए०)/2017 टी०सी०-1 मद्रास विभाग
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, मांजरा देहरादून।
2. निजी सचिव, सचिव, गा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
3. आयुक्त, कुमांउ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल।
5. मुख्य अभियन्ता, लोनिवि०, हल्द्वानी।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, धर्मपव, देहरादून/नैनीताल।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।
10. अधिशारी अभियन्ता, अरुणा खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

पञ्चांक 3204/5208/0-02/18
दि० 29/10/18

(जावेद अंसारी)
उप सचिव

यदि अधिशारी अभियन्ता द्वारा निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के द्वारा सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित,

R.N. 4968/LA-1

जिलाधिकारी निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित,

नैनीताल।

1- सहायक अभियन्ता III

2- जूनियर सहायक

3- कार्यालयी (जा)



स० म०

भा॥

04.11.18
नैनीताल।